

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क० 39/14 वैवाहिक

रामलखन पुत्र आदिराम आयु 32 साल जाति कुशवाह
निवासी ग्राम तिलोरी थाना मालनपुर परगना गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

.....आवेदक

बनाम

श्रीमती रामा पुत्री रामभजन पत्नी रामलखन आयु 28
साल जाति कुशवाह निवासी विलौआ बहादुरपुर जिला
ग्वालियर हाल निवासी धर्मकांटा मालनपुर परगना गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि० ।
अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय

// निर्णय //

(आज दिनांक 29-11-14 को घोषित किया गया)

- 1- आवेदक/याचिकाकर्ता की और से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के संबंध में निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि आवेदक ने अनावेदिका के साथ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना वाबत् आवेदनपत्र पेश किया है ।
- 2- याचिकाकर्ता/आवेदक की और से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 20-4-2007 को हिन्दू रीति रिवाज के सप्पदपदी प्रथा के अनुसार सम्पन्न हुआ था इस कारण आवेदक की अनावेदिका विवाहिता पत्नी है । आवेदक के साथ अनावेदिका काफी समय तक साथ साथ रही और उसने आवेदक के साथ में पत्नी धर्म के दायत्वों का निर्वहन किया किन्तु आये दिन अपने मायके जाने की जिद्द करती थी और आवेदक व उसके माता पिता से लड़ाई झगडा करती रहती थी और अपने मायके बिना बताये चली जाती थी और महीनों तक अपने मायके में निवास करती थी और

आवेदक को दाम्पत्य अधिकारों से भी बंचित रखती थी । वह बड़ी मुश्किल से आती थी और कुछ समय तक आवेदक के साथ रहती और फिर चली जाती थी । आवेदक के घर से अनावेदिका आज से करीबन 9 माह पहले माह अक्टूबर में दिनांक 10-10-13 को जब आवेदक व उसके परिवारजन बाहर मजदूरी करने गये थे तब अपने पिता के साथ वही चली गयी और बिना बताये अपने साथ में आवेदक के सोने चांदी के जेवरातों में मंगलसूत्र 8 आना भर सोने का बाला सोने के 1 तोला के तथा सोने की जन्जीर 2 तोला की तथा करधोरी चांदी की वजनी 250 ग्राम की तथा पायजेवी 250 ग्राम की तथा नगदी घर में रखे 15000/- रुपया लेकर के और साथ में कीमती कपड़े लेकर चली तब से आज तक लोटकर नहीं आयी

3- आवेदक अपने रिश्तेदारों को लेकर के अनावेदिका के मायके गया तो वह आवेदक के साथ नहीं आयी और उसके माता पिता कहने लगे कि हम तो अपनी पुत्री को तेरे साथ नहीं भेजेंगे तुम्हें दिखे सो करो । उसके द्वारा एवं पंचों के द्वारा काफी कहने पर भी अनावेदिका उसके साथ नहीं आयी । आवेदक अनावेदिका को अपने साथ रखने को तैयार है और उसका भरण पोषण करने को भी तैयार है । लेकिन अनावेदिका आवेदक के साथ नहीं रहना चाहती और उसे करीबन 9 माह से दाम्पत्य सुखों से बंचित किये हुये है । याचिका को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुये अनावेदिका को उसके साथ दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन करने की घोषणा एवं अन्य सहायता की याचना की है ।

4- प्रकरण में अनावेदिका को उपस्थिति बावत सूचनापत्र भेजा गया जो कि रजिस्टर्ड सूचना पत्र अनावेदिका के द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया जिसके कारण अनावेदिका के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

5- आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि:-
क्या आवेदक अनावेदिका के साथ विवाह संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

::— निष्कर्ष के आधार—::

6- याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से याचिका के समर्थन में आवेदक रामलखन अ0सा01, छोटीबाई अ0सा02, आदिराम अ0सा03 के शपथपत्र पेश किये हैं । आवेदक रामलखन अ0सा01 के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र जिसका कि समर्थन अन्य शपथकर्ताओं के शपथपत्र के द्वारा भी होता है उससे यह स्पष्ट है कि अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है । जो कि अनावेदिका का आवेदक के साथ विवाह दिनांक 20-4-07 को सम्पन्न हुआ था ।

7- आवेदक रामलखन अ0सा01 के द्वारा शपथ पर साक्ष्य कथन में बताया है कि विवाह के उपरांत जो कि वर्ष 2007 में सम्पन्न हुआ था उसके बाद अनावेदिका उसके पास रहने आयी

थी और सुख पूर्वक उसके साथ रहने लगी । अनावेदिका के पिता के द्वारा एक भोज का आयोजन किया गया था जिसके लिये उसका पिता उसे ले गया था किन्तु कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी वह वापिस नहीं आयी । दिनांक 15-7-10 को आवेदक उसे लेने गया लेकिन अनावेदिका उसके साथ नहीं आयी । पुनः दिनांक 22-2-11 को वह अपने रिश्तेदारों को लेकर के उसे लिवाने के लिये गया रिश्तेदारों ने उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी । वह अनावेदिका को अपने साथ पत्नी के रूप में रखने के लिये तैयार है । अनावेदिका अपने साथ सोने चांदी के जेवर और 15000/- रुपये नगदी ले गयी जिसे वह अपने पिता के घर रखे है । उक्त सामानों सहित दाम्पत्य जीवन की पुर्नस्थापना के संबंध में याचिका उसके द्वारा की गयी है ।

8- जहां तक सोने चांदी के जेवर एवं 15000/- नगदी का प्रश्न है । उक्त जेवर एवं नगदी अनावेदिका अपने साथ ले गयी है । उस संबंध में अनावेदक के द्वारा कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है और न ही उपरोक्त जेबरात एवं नगदी ले जाने के संबंध में कहीं भी कोई रिपोर्ट आवेदक के द्वारा की गयी है । आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्षी छोटेलाल अ0सा02 तथा आदिराम अ0सा03 के द्वारा भी कहीं स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि कौन कौन से जेवर थे और कोई नगदी की भी राशि थी । ऐसी दशा में जेवर और नगदी जो कि आवेदक के द्वारा अपने आवेदनपत्र एवं साक्ष्य के शपथपत्र में बताया गया है वह सभी अनावेदिका के पास हों ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है ।

9- अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहिता पत्नी है वह आवेदक से बिना युक्ति युक्त कारण के पृथक रह रही है तथा आवेदक के द्वारा बुलाये जाने पर भी वह आवेदक के पास वैवाहिक संबंधों की स्थापना वाबत् नहीं आ रही है । जो कि इस संबंध में आवेदक रामलखन अ0सा01, छोटेलाल अ0सा02 एवं आदिराम अ0सा03 के शपथपत्रों से स्पष्ट है । आवेदक एवं उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के शपथपत्र का किसी प्रकार से कोई प्रतिखण्डन नहीं हुआ है । इस बिन्दु पर भी कि अनावेदिका बिना किसी उचित कारण के विवाहिता पत्नी होने के उपरांत भी आवेदक से पृथक रह रही है और आवेदक के साथ दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना उसके साथ नहीं की जा रही है इस संबंध में प्रतिखण्डन के अभाव में प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय होना पायी जाती है ।

10- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अखण्डनीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होता है कि अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहिता पत्नी है वह अनावेदक से बिना किसी युक्ति युक्त कारण के पृथक रह रही है और उसके द्वारा वैवाहिक संबंधों की स्थापना नहीं की जा रही है । ऐसी दशा में आवेदक अनावेदिका से वैवाहिक संबंधों

की पुर्नस्थापना करा पाने का हकदार पाया जाता है और इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका निम्न अनुसार स्वीकार की जाती है :-

- 1- अनावेदिका श्रीमती रामा आवेदक रामलखन की विवाहिता पत्नी होने से आवेदक के साथ पत्नी के रूप में दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन करें और आवेदक के साथ वैवाहिक संबंधों के पुनरस्थाना करें।
- 2- प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं बहन करेंगे।
- 3- अभिभाषक शुल्क सूची मुताबिक प्रमाणित होने पर जो भी कम हो देय हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड